

डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2001—अग्रहायण 10, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 788/परि./2001.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में—

(1) नियम-56 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को यह निर्देश देती है कि वह अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर नमूना या किसी भी वर्ग के यान के बारे में :

(क) मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का सं. 4) के अधीन आवंटित क्रमांकों के स्थान पर; और

(ख) मध्यप्रदेश सीरीज में रजिस्ट्रीकृत या समनुदेशित क्रमांकों के स्थान पर इस अधिनियम के अधीन नए क्रमांक पुनः समनुदेशित करें तथा उसके लिए रीति तथा शर्त भी विहित करती है और इस संबंध में अधिनियम की धारा-41 की उपधारा (6) के उपबंध लागू होंगे.

- (2) जब राज्य सरकार उप-नियम (1) के अधीन आदेश जारी कर रहा है, तब ऐसा युक्ति-युक्त समय देगा जो कम से कम चार मास का होगा जिसके भीतर ऐसे यान का स्वामी नया क्रमांक अभिप्राप्त करें।
- (3) उप-नियम (1) के अधीन नए क्रमांक को समनुदेशित करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।
- (4) उप-नियम (2) के अधीन इस प्रकार नियत समय की समाप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी व्यक्तिगत या नों के विरुद्ध अधिनियम की धारा-53 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कार्रवाई प्रारंभ करेगा।
- (5) जहां किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र उप-नियम (4) के अधीन निरस्त या निलंबित कर दिया गया है वहां सक्षम प्राधिकारी और/या अधिकारी इस अधिनियम की धारा-192 और 207 के अधीन कार्रवाई कर सकेगा।
- (6) जहां स्वामी उप-नियम (2) के अधीन नियत समय की समाप्ति के पश्चात् यान को पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता है तो वहां रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह उप-नियम (4) और (5) के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बदले में अधिनियम की धारा-200 के अधीन प्रशमन शुल्क का भुगतान कर और केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-81 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस भी जमा करेगा और तब उसे क्रमांक समनुदेशित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2001

क्रमांक 789/परि./2001.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 1 दिसंबर 2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 1st December 2001

NOTIFICATION

No. 788/Trans./2001.— In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :—

AMENDMENT

1. In the said rules—

(1) for rule 56, the following rule shall be substituted, namely :—

56 Re-assignment of registration number under certain conditions.

(1) State Government may, by general or special order, direct all Registering Authorities of the State in their respective jurisdiction to reassign the new number under the Act.:

- (a) in place of number allotted under the Motor Vehicles Act, 1939 (No. 4 of 1939); and
- (b) in place of number registered or assigned in Madhya Pradesh series, in respect of all or any class of vehicles and also prescribed the manner and condition thereof, and the provision of sub-section (6) of Section 41 of the Act shall apply in this regard.

- (2) State Government while issuing order under sub-rule (1), shall provide a reasonable time, which shall not be less than four months within which the owner of such vehicle shall obtain new number.
- (3) No Fee shall be charged for the assignment of new number under sub-rule (1).
- (4) After expiry of the time so fixed under sub-rule (2) the Registering Authority may initiate action against the defaulter vehicle under clause (a) of sub-section (1) of Section 53 of the Act.
- (5) Where the registration certificate of a vehicle is cancelled or suspended under sub-rule (4) the competent Authority and/or officers may take action under Section 192 and 207 of the Act.
- (6) Where the owner apply for re-registration of a vehicle after expiry of the time so fixed under sub-rule (2), the Registering Authority may, require the owner to pay composition fee under Section 200 of the Act in lieu of any action that may be taken against him under sub-rule (4) and (5) and also deposit the registration fee under rule 81 of the Central Motor Vehicles Rules 1989, and then reassign the number.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Joint Secretary.

